अत्यावश्यक

पत्रांक –....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

बिहार ।

पटना–15,दिनांक–

विषयः **प्राकृतिक आपदाओं में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में ।**

महाशय,

अवगत हैं कि राज्य / राष्ट्रीय आपदा रिस्पौन्स कोष के अंतर्गत निर्धारित मानदर की कंडिका–1 (क) के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान का प्रावधान है । भारत सरकार के पत्रांक–32–7/2014 एन0डी0एम0–1 दिनांक 08–04–2015 के अनुसार प्रावधान निम्नवत है :–

1	GRATUITOUS RELIEF /अनुग्रह अनुदान :–	
	a) Ex- Gratia payment to families of deceased persons	Rs. 4.00 lakh per deceased person (including those involved in relief operations or associated in preparedness activities), subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
	क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान ।	रू0 4.00 लाख प्रति मृतक (राहत कार्यों एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), वशर्ते सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो ।

2– बाढ़ सहित अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं में किन्हीं की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार को जिले में उपलब्ध किसी भी निधि से अनुग्रह अनुदान का भुगतान घटना के दिन ही किये जाने का निदेश समय समय पर दिया जाता रहा है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन के शीर्ष 2245 के विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी कई मामलों में भुगतान में देरी हो जाने की सूचना प्राप्त होती रही है। बाढ़ के दौरान होनेवाली मृत्यु की दशा में मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु दिए गए आवंटन में अनिवार्यतः इस मद में विभाग द्वारा आवंटन दिया जाता है, परन्तु यह देखा गया है कि इस मद में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी बाढ़ के दौरान मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान की राशि देने में देर हो जा रही है ।

3– यह भी अवगत हों कि विभागीय पत्रांक 2806/अप0प्र0 दिनांक–22–7–2016 द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से संसूचित किया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं हेतु Treasury Code के संगत प्रावधानों के अनुसार एक करोड़ तक की राशि कोषागार से आहरित की जा सकती है तथा विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् उसका सामंजन किया जा सकता है।

4–अतएव राज्य सरकार का यह निर्णय पुनः दुहराया जाता है कि बाढ़ सहित विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित प्राकृतिक/ स्थानीय प्रकृति की आपदाओं में मृत्यु होने की दशा में मृतक के परिवार को उसी दिन अथवा उसी परिस्थिति में अगले दिन उपरोक्त कंडिका 3 के प्रावधानानुसार अथवा जिला में उपलब्ध किसी भी निधि से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। साथ ही भुगतान के बाद आवश्यकतानुसार आपदा प्रबंधन विभाग से यथाशीघ्र आबंटन प्राप्त कर लिया जाएगा ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3341/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 3/9/16.

mail

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव